17/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष
अनु. कागजात प्रार्थीगण स्कीमात मिसल पाया है। विस्तृत
निर्णय शामिल मिसल किया गया पत्र भांति हो। फाइल नंबर
से कम हो। आदेश सुनाया गया।

GCMS
2025/687

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– भरत जयप्रकाश मीना (आई ए.एस.)

प्रकरण सं.– 286/2025 GCMS:-2025/687 दायरा दिनाकः– 26.12.2025

पेमाराम पुत्र श्री मलूराम जाति बैरागी साकिन जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

–प्रार्थी

बनाम

1. दयाराम पुत्र सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी
2. श्री कुलविन्दसिह अधिवक्ता – अप्रार्थी नं. 1
3. तहसीलदार पैराकार राज

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 17.04.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 10 एस.डी की जमाबन्दी सॅवत 2073 ता 76 के खाता न 40/39 के पत्थर नं0 109/403 मुरब्बा न0 52 के किला न0 1 ता 3, 9 ता 12, 19–20 मे 2.277 हैक व पत्थर न 109/405 (61) के किला न 9 ता 14, 17 ता 20, 22–23 में 3.036 हैक इस प्रकार दोनो पत्थर नम्बरान 5.313 हैक रकबा खातेदारी है तथा अप्रार्थी न 1 के नाम से इसी चक 10 एस.डी की जमाबन्दी सॅवत 2073 ता 76 के खाता न 139/32 के पत्थर नं0 109/402 मुरब्बा न0 47 के किला न0 18/4, 23/2 में 0.316 हैक व पत्थर न 109/403 मुरब्बा न0 52 के किला न0 21–22/0.506 हैक व पत्थर न 109/404 (57) के किला न 1–2–9, 10/2, 12/2, 19/2, 22/4, में 0.987 हैक व पत्थर न 109/405 (61) के किला न 1 में .253 हैक इस प्रकार कुल 2.062 हैक रकबा खातेदारी है । प्रार्थी के खातेदारी रकबा मे काश्त करने के लिये कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है इसलिये प्रार्थी सार्वजनिक रास्ता जो इस चक के पत्थर नम्बर 109/404 के किला न 21 ता 25 के दक्षिणी पासा मे पूर्व से पश्चिम को रास्ता चलता है तथा प्रार्थी अप्रार्थी न 1 के पत्थर न. 109/405 के किला न 1 के पश्चिमी पासा मे उतर से दक्षिण लम्बाई मे कमाण्ड रकबा मे डेढ बिस्वा चौड़ाई मे रास्ता ले रखा है प्रार्थी इसी रास्ता से इस पत्थर अपने किला न 10 के रकबा मे चला जाता है व अपने खातेदारी रकबा की काश्त कर रहा है, चुकि प्रार्थी को आने जाने वाला स्वीकार नही होने से अप्रार्थी इस रास्ता को बन्द कर देता है इसलिये प्रार्थी इस चालु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है तथा प्रार्थी को अपने रकबा को काश्त करने के लिये यह एक मात्र रास्ता है जिसकी प्रार्थी को अतियतिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी इस रास्ता के बदले डी.एल.सी. रेट की राशि देने को तैयार है इसलिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर किला न 1 में से रास्ता स्वीकार करने का निवेदन किया ।

लगातार पेज न 2.....पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 286/25
अनवान :– पेमाराम बनाम दयाराम आदि

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सूरतगढ से प्रार्थना पत्र के सम्बंध में जांच कर रिपोर्ट मंगवाई जिसकी पालना मे भू. अभिलेख निरीक्षक वृत भैरूपुरा ने पटवारी हल्का को साथ लेकर दिनांक 12.11.2025 को मौका रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय को भिजवाने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 की ओर से सहमति का जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि प्रार्थी के लिये पत्थर न 109/405 के किला न 1 के पश्चिमी पासा मे से 0.0189 हैक रास्ता के बदले प्रार्थी के खातेदारी रकबा मे इसी पत्थर न 109/405 के किला न 10के उतरी पासा मे से 0.0189 हैक रकबा दिलाया जाकर इस रास्ता को स्वीकार कर दिया जावे तथा प्रकरण जबाब के साथ ही उभय पक्ष ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की दोनो पक्षो का रकबा बैक के रहन है इसलिय इस रास्ता के इन्तकाल व रास्ता के बदले दिया जाने वाला रकबा के इन्तकाल पर बैक ऋण निष्प्रभावी किया जावे ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यो के अनुसार प्रार्थी को उसके चक 10 एस.डी की जमाबन्दी सॅवत 2073 ता 76 के खाता न 40/39 के पत्थर न 109/405 (61) के किला न 9 ता 14, 17 ता 20, 22–23 में 3.036 हैक रकबा को काश्त करने के लिये स्वीकृत शुदा रास्ता नही है प्रार्थी ने अप्रार्थी न 1 के इसी पत्थर न 109/405 (61) के किला न 10 के पश्चिमी पासा मे से उतर से दक्षिण लम्बाई मे व डेढ बिस्वा चोड़ाई मे कुल 0.0189 हैक रकबा रास्ता स्वीकार करने मे व इस रकबा के बदले अप्रार्थी ने प्रार्थी के किला न 10 मे 0.0189 हैक रकबा उतरी पासा मे रकबा दिये जाने मे उभय पक्ष सहमत है इसलिये दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी धारा 251 क राज काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थी न 1 दयाराम के नाम के चक 10 एस.डी. की जमाबन्दी सॅवत 2073 ता 2076 के खाता न 139/32 के पत्थर न 109/405 (61) के किला न 1 के पश्चिमी पासा मे उतर से दक्षिण लम्बाई मे डेढ बिस्वा चौड़ाई मे कुल 0.019 हैक कमाण्ड रकबा मे प्रार्थी के रकबा तक पहुॅच मार्ग (गैर मुमकिन रास्ता) स्वीकार किया जाता है व यह रकबा गैरमुमकिन रास्ता के नाम दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है, तथा इस रकबा के बदले, प्रार्थी पेमाराम के नाम के इसी चक 10 एस.डी. की जमाबन्दी सॅवत 2073 ता 2076 के खाता न 40/39 के पत्थर न 109/405 (61) के किला न 10 के उतरी पासा मे पूर्व से पश्चिम 150 फुट लम्बाई में कुल 0.019 हैक कमाण्ड खातेदारी रकबा (प्रार्थी को इस किला के शेष रकबा मे आने जाने /पहुॅच हेतु रकबा छोडकर) प्रार्थी के खाते से कलमजन कर अप्रार्थी 1 को दिया जाकर अप्रार्थी के खाते मे दर्ज किया जाने का आदेश [illegible] दिया जाता है तथा रास्ता के रकबा का व रास्ता के बदले दिये जा रहे रकबा [illegible] पर उभय पक्ष का बैक ऋण प्रभाव शुन्य समझा जावेगा [illegible] रिकार्ड मे अमलदरामद हेतु तहसीलदार सूरतगढ को अलग से पत्र जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.17 19:16:40 IST
Reason: SelfAttested